

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

केस सं. / 202.....

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	1. 8. 25	<p>पत्रावली पेश हुई। अर्धी/अधिकारी अधिवक्ता अर्धी/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 8/8/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">N.S.</p>
	8/8/25	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्ता संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 8/8/25 को पेश हो।</p>
	18. 8. 25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अर्धी उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 23/8/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                 N.S.                  उपखण्ड अधिकारी                  जोधपुर             </p>
	25. 8. 25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अर्धी उपस्थित। अर्धी सं. 20 व 22 की ओर से Adv. डांगराम प्रजापति द्वारा अकालतनामा पेश। 19. 8. 25 को अर्धी सं. 1 व 2, 19, 21 एवं 23, 24, 25 के विस्तृत आवेदन सुनना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही समल में लगी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष के विवेक पर अद्यत प्रार्थना पर लुई गयी। अधिवक्ता अर्धी सं. 20 व 22 द्वारा प्रार्थना का प्रार्थना पर स्वीकार करने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अद्यत अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। अर्धी/अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर अद्यत 09. 8. 25 को स्वीकार किया जाना मूल वाद अर्धी महावीर सिंह वगैरे बनाम अन्तर कंवर वगैरे की पुनः अद्यत पर लिखे जाने</p>

फर्द अहकाम

बनाम

नय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

/202.....

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>के बारे में प्रदान लिखे गये। पत्रावली में मूल सुमार डीकर नंबर से मूल डीकर मूल वाद के साथ नहीं है। मूल वाद पुनः दर्ज किया डीकर दिनांक 8/9/25 को फेर है।</p> <p style="text-align: right;">Nelu उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>	